राजकीय आर्य स्नातक महाविद्यालय नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(i) प्रस्तावनाः–**

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य राजकीय आर्य स्नातक महाविद्यालय नूरपुर में आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहेः–

क्रमांक सं0	प्राचार्य का नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र सिंह पठानिया (17.8.13 से 28.8.13 तक कोई भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यरत्तनहीं रहा)	1.4.2013 से 16.8.2013
2	श्री अरविन्द पठानिया	29.8.2013 से 31.3.2017

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में निपटारे हेतु अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त लम्बित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2013

1	पैरा–3	निर्णीत	(कृत कार्यवाही व अभिलेख की जाँच उपरान्त)
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित)
3	पैरा–5	निर्णीत	(कृत कार्यवाही देख ली गई)
4	पैरा–6	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच उपरान्त)
5	पैरा–7	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच उपरान्त)
6	पैरा–8	निर्णीत	(अब एस0सी0ए0 निधि की वसूली नहीं की जा रही है)
7	पैरा–9	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर दिया है)
8	पैरा–10	निर्णीत	(कार्यवाही की जाँच उपरान्त)
9	पैरा–11	अनिर्णीत	
10	पैरा–12	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच उपरान्त)

11	पैरा–13	निर्णीत	(अभिलेख जाँच लिया गया)
12	पैरा–14	अनिर्णीत	
13	पैरा–15	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख की जाँच उपरान्त)
14	पैरा–16	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच उपरान्त)

राजकीय महाविद्यालय नूरपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1.4.2013 से 31.3.2017 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	आपित्त का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण ब्याज के रूप में हानि	4 (ग)	0.63
2	मिश्रित निधि से अनियमित व्यय	8	1.04
3	खेल निधि से वैट के रूप में अनुचित भुगतान	11	0.03
4	अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	12	1.52
5	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना	15	1.73
6	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	16	3.89

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

महाविद्यालय के वर्तमान निधि लेखों अवधि 1.4.13 से 31.3.17 का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है श्री तरबीज कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 10.7.2017 से 28.8.2017 के दौरान नूरपुर में किया गया माह 6/13, 6/14, 7/15 व 7/16 के लेखों का चयन की आय विस्तृत जाँच के लिए तथा माह 7/13, 5/14, 7/15 व 10/16 के लेखों का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय के लेखों का अंकेक्षण शुल्क महाविद्यालय की वार्षिक प्राप्तियों के आधार पर निम्न विवरणानुसार ₹32000 बनता है।

वर्ष	निधियों से आय	अंकेक्षण शुल्क
2013—14	2008848	8000
2014—15	1999025	8000
2015—16	2659421	8000
2016—17	3070358	8000
	कुल जोड़	**₹32000**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे बैक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेजने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अधियाचना संख्या 320 दिनांक 16.8.2017 द्वारा अनुरोध किया गया तथा प्राचार्य द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के ड्राफ्ट संख्या 556844 दिनांक 18.8.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

(क) महाविद्यालय के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न वर्णित हैः—

	2013—14	**2014—15**	**2015—16**	**2016—17**
प्रारम्भिक	6592567	8022438	4896040	5390664
आय	2008848	1999025	2659421	3070358
ब्याज	285256	214614	208831	199559
योग	8886671	10236077	7764292	8660581
व्यय	864233	1840037	2373628	1659710
सावधि जमा में निवेशित राशि	—	3500000	—	
अन्तिम शेष	8022438	4896040	5390664	7000871

दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ बही एवं बैंक खातों में शेष का विवरण **परिशिष्ट (क)** में भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट (क)** में ₹42559 का मिश्रित निधि में अन्तर गत वर्षों का दर्शित है। जिस बारे में उचित समाधान कर वस्तुस्थिति से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

(क) **(1)** अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा दिनांक 31.3.2017 से ₹7043430 की राशि बैंक में बचत खातों में ही रखी थी यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन छात्र निधियों का एक समुचित भाग सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो संस्थान को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित होती जिसका उपयोग छात्रों की भलाई कार्यों हेतु किया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था अपने स्तर पर आन्तरिक जाँच करके अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संस्थान को अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वंचित न होना पड़े।

(ख) दिनांक 31.3.2017 तक सावधि जमा में निवेशित राशि निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**सावधि जमा सं0**	**निवेश की तिथि**	**निवेश की राशि**	**परिपंकवता राशि**	**बैंक**	**दर**
1	33837440129	15.5.14	1000000	1093083	SBI	9%
	पुनः निवेशित (3 वर्ष)	15.5.17	1251529	1340106		6.9%
2	3383441189	15.5.14	500000	546542	SBI	9%
	पुनः निवेशित (3 वर्ष)	15.5.17	625746	670053		6.9%
3	1447695 पुनः	30.4.14	1000000	1093083	KCCB	9%
	निवेशित (3 वर्ष)	30.4.17	1293331	1379469		6.5%
4	1447694 पुनः	30.4.14	1000000	1093083	KCCB	9%
	निवेशित (3 वर्ष)	30.4.17	1293331	1379469		6.5%

(i) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त सावधि जमा राशि की परिपक्वता की तारीख को पुनः निवेश (Renewal) नहीं करवाया गया था जिससे यह जानकारी नहीं लगाई जा सकी कि किस अवधि के लिए सावधि जमा पर ब्याज किस दर से दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सावधि जमा राशि को समय पर परिपक्व करवाकर पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा उक्त सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ बही में व्यय के रूप में दर्शाया गया है व पुनः निवेश कर ब्याज को रोकड़ में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा इस राशि को वित्तीय स्थिति में सम्मिलित नहीं किया गया है जोकि उचित नहीं है। क्योंकि इससे सावधि जमा में निवेशित राशि का लेखांकन विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों में दर्शित नहीं है एवं निधियों की रोकड़ बही संस्थान की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती। अतः पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व रोकड़ बही के प्रारम्भिक व अन्तशेषों में सावधि जमा में निवेशित राशि व अर्जित ब्याज को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण ₹0.63 लाख के ब्याज की हानिः–

जाँच में पाया गया कि पैरा 4 (ख) में क्रमांक 1 व 2 पर वर्णित सावधि जमा राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवाई गई थी तथा तीन वर्ष उपरान्त ₹1000000 पर ₹251529 का ब्याज अर्जित किया गया तथा ₹500000 पर ₹125746 का ब्याज अर्जित किया गया जबकि उतनी ही राशि (1000000) क्रमांक 3 व 4 पर KCCB में जमा करवाने पर तीन वर्ष में ₹293331 का ब्याज अर्जित किया गया इस प्रकार अगर यही पूरी/समुचित राशि KCCB में जमा करवाई जाती तो ₹1500000 पर ₹62712 का अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया जा सकता था।

अतः परामर्श दिया जाता है कि मामला बैंक प्रबन्धन से उठाया जाए तथा इस पर शीघ्र उचित कार्यवही करके ब्याज के रूप में हुई हानि की क्षतिपूर्ति बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(घ) सावधि जमा योजना में अर्जित ब्याज पर ₹0.05 लाख आयकर कटौती बारेः–

जाँच में पाया गया कि 4 (ख) क्रमांक 4 (क) 1 व 2 पर वर्णित सावधि जमा योजना पर जो ब्याज अर्जित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹1000000 की सावधि योजना के ब्याज पर तीन वर्षों में ₹3469 आयकर स्त्रोत पर काटा गया है इसी प्रकार ₹500000 की

सावधि जमा योजना के ब्याज पर तीन वर्षों में ₹1735 का आयकर कटौती किया गया जबकि इसी अवधि के दौरान कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक (KCCB) द्वारा ऐसी कोई भी कटौती नहीं की गई है।

अतः परामर्श दिया जाता है कि मामला बैंक प्रबन्धन से उठाया जाए तथा इस पर शीघ्र कार्यवाही करके कटौती की भरपाई करनी सुनिश्चित की जाए।

(ङ) छात्र कल्याण निधि के खाते को बन्द करने बारेः—

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.08 से 31.3.13 में अंकेक्षण द्वारा परामर्श दिया गया था कि छात्र कल्याण निधि को मिश्रित निधि में स्थानान्तरण किया जाए जिसकी अनुपालना में संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही के पेज संख्या 7 दिनांक 6.2. 2014 को इस निधि को बन्द करने उपरान्त इस निधि से ₹21830 को मिश्रित निधि में स्थानान्तरण चैक संख्या 29094 के माध्यम से दर्शाया गया है। उकत चैक हरवंश लाल के नाम काटा गया दर्शाया गया है। अभिलेख की जाँच उपरान्त पाया गया कि स्थानान्तरण की गई राशि मिश्रित निधि में जमा नहीं हुई है। मामला प्रधानाचार्य के समक्ष उठाने पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही उपरान्त पाया गया कि सम्बन्धित खाता बन्द नहीं हुआ है तथा बकाया राशि बैंक में जमा है जोकि ब्याज सहित ₹26795 है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि छात्र कल्याण निधि के खाते को अपडेट करवाकर सम्पूर्ण राशि की निकासी उपरान्त इसे मिश्रित निधि में जमा/करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए।

5 शुल्क ₹430 एकत्र न करने बारेः—

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि प्रवेश व विलम्ब शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाना अपेक्षित था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	रसीद सं0	दिनांक	रोल नं0	राशि	शुल्क
1	13045	19.7.13	6084	25	प्रवेश शुल्क
				190	विलम्ब शुल्क
2	13046	19.7.13	1177	25	प्रवेश शुल्क
				190	विलम्ब शुल्क
			कुल	**430**	

अतः उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6 गृह परीक्षा निधि की निर्धारित दर से अधिक दर पर एकत्र करने बारेः—

(क) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा वर्ष 2015—16 व 2016—17 के दौरान गृह परीक्षा निधि को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ₹25 प्रति वर्ष प्रति छात्र के स्थान पर ₹40 प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से एकत्र किया गया। इस प्रकार प्रत्येक छात्र से ₹15 प्रतिवर्ष की दर से अधिक एकत्रीकरण किया गया। अतः गृह परीक्षा निधि की निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में नियमानुसार ही निधियों का एकत्रीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) छात्र सहायता निधि (Student AID Fund) की निर्धारित दर सें अधिक दर पर एकत्रीकरणः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा छात्रों से एस0ए0एफ0 निधि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों द्वारा ₹2 प्रति वर्ष/प्रति छात्र के स्थान पर ₹10 प्रति वर्ष/प्रति छात्र की दर से एकत्र की गई थी इस प्रकार प्रत्येक छात्र से ₹8 प्रति वर्ष की दर से अधिक एकत्रीकरण किया गया। अतः एस0ए0एफ0 की निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में निधियों का एकत्रीकरण सरकार द्वारा समय—2 पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) छात्रों से सी0डी0वी0एफ0 निधि की निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली करने बारेः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा छात्रो से सी0डी0वी0एफ0 निधि की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्धारित दर ₹10 प्रति वर्ष प्रति छात्र के स्थान पर ₹13 प्रति वर्ष/प्रति छात्र की दर से वसूली की गई है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र से ₹3 प्रति वर्ष की दर से अधिक वसूली की गई है। अतः सी0डी0वी0एफ0 निधि को निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

7 दण्ड शुल्क ₹671 को एकत्र न करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या EDN-A-Kha(8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 के कम संख्या 29 के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक विद्यार्थी जो कक्षा में अनुपस्थित रहा हो से ₹1 प्रति कक्षा दण्ड शुल्क एकत्र करना अपेक्षित था जबकि जाँच में

पाया गया कि अवधि 2013—14 के दैरान दण्ड के रूप में ₹671 वसूल नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः जुर्माने की राशि को वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अभिलम्ब ₹671 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करने के पश्चात अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं तथा भविष्य में नियमों के अनुसार समस्त निधियों की वसूली करना सुनिश्चित करें। कम वसूली का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

अवधि 2013—14

क्रमांक	**रोल नं0**	**छात्र का नाम**	**जुर्माना राशि**
1	8501	शिव कुमार	20
2	8517	नेहा रानी	22
3	8518	उषा देवी	33
4	8519	प्रियंका देवी	38
5	6519	सुनील कुमार	27
6	3528	शिव सिंह	17
7	3547	शशी	35
8	7022	गगन सिंह	27
9	7023	मन्जू शर्मा	31
10	0014	अक्षय साम्भरी	55
11	0049	सुमीत सिंह	63
12	0050	पुष्पिन्दर सिंह	51
13	6007	निषा	31
14	0501	सुचेता पठानिया	44
15	6545	विजय कुमार	27
16	8023	केवल सिंह	43
17	8028	नीना देवी	34
18	8034	रोहित शर्मा	37
19	8039	रन्जना देवी	36
		जोड	**671**

8 ₹1.04 लाख के बिजली के बिलों का मिश्रित निधि से अनुचित भुगतानः–

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि बिजली के बिलों का भुगतान मिश्रित निधि से किया गया था जोकि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	वाउचर	दिनांक	राशि
1	3	22.4.14	8289
2	9	15.5.14	8354
3	153	18.3.16	13664
4	165	27.5.16	64706
5	200	27.10.16	8889
		जोड	**103902**

इसके अतिरिक्त अन्य माहों में किए गए इस प्रकार के भुगतानों की गणना अपने स्त्तर पर करके उनकी भी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 औपचारिकताऐं पूर्ण किये बिना क्रय ₹0.18 लाख :–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा विभिन्न निधियों से निम्न विवरणानुसार सामग्री का क्रय औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार निविदायें सम्बन्धित औपचारिकताऐं पूर्ण करना अपेक्षित थी और बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदायें आमन्त्रित किए की गई अनियमित क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	ज्योलोजी	शून्य / 27.10.16	मैसर्ज भानु विज्ञान केन्द्र घुमारवीं से लैब सामग्री	5871
2	मिश्रित निधि	43 / 17.10.14	मै0 महालक्ष्मी आफसैट प्रिंटर्ज से बिल संख्या 850 दिनांक 26.8.14 में वर्णित स्टेशनरी की खरीद	12050
			कुल	**17921**

10 बिना निविदायें आमन्त्रित किए ₹3000 से कम विपत्रों के माध्यम से खरीद बारेः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा खेल निधि से मैसर्ज अमृतसर म्युजिक हाउस पठानकोट से खेलों से सम्बन्धित सामान बिल संख्या 1104 से 1111 ₹18871 का खरीदा गया तथा बिल लगातार क्रमानुसार थे लेकिन बिलों की ₹3000 से कम करने के लिए तथा निविदायें आमन्त्रित न करने के लिए बिलों पर अलग अलग दिनांक दर्शाई गई थी यदि सामान का क्रय निविदायें आमन्त्रित करके किया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः छाटे—छोटे बिलों के माध्यम से खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में नियमों के अनुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	बिल संख्या	दिनांक	राशि
1	1104	2.9.14	2545
2	1105	2.9.14	2545
3	1006	8.9.14	2545
4	1107	8.9.14	2280
5	1108	15.9.14	2810
6	1109	15.9.14	2837
7	1110	19.9.14	2413
8	1111	19.9.14	806
		जोड	**18781**

11 खेल निधि से वैट के रूप में ₹0.03 लाख का अनुचित भुगतानः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा वाउचर संख्या शून्य दिनांक 21.10.15 के अन्तर्गत मैसर्ज सतीश स्टेशनर्स एण्ड साइंटिफिक वर्कस फतेहपुर से खेल सामग्री के क्रय हेतु ₹54516 का भुगतान किया गया इसमें से ₹2596 का वैट का भुगतान सम्मिलित है। फर्म द्वारा निविदाओं में दी गई दरों के अलावा वैट अतिरिक्त रूप में लेने की कोई शर्त नहीं थी। इस प्रकार ₹2596 के अनुचित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि

में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 मिश्रित निधिः—

टग्रिम ₹1.52 लाख समायोजन हेतु शेषः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि छात्र निधियों से विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशियों का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया था इन अग्रिमों का समायोजन दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं किया गया था। अतः शीघ्र इन अग्रिमों का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	**वा0सं0 / दिनांक**	**जिसे अग्रिम दी गई (नाम)**	**निधि**	**राशि**
1	68 / 7.2.15	श्री पृथ्वी सिंह	मिश्रित निधि	50194
2	130 / 9.11.15	श्री के0के0 शर्मा	मिश्रित निधि	102168
			जोड़	**152362**

13 रियायती दर पर यात्रा न करने बारेः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय इन्टर कालेज प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छात्रों ने प्रतिनिधित्व किया व उक्त महोत्सवों / प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी छात्रों को किराये का भुगतान ₹19590 हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम को दर्शाया गया था तथा यात्राओं के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा रियायती वाउचर परिवहन निगम से प्राप्त नहीं किया गया यदि महाविद्यालय द्वारा इन यात्राओं के लिए रियायती वाउचर बनवाया होता तो किराये के रूप में किए गए व्यय की 50% अर्थात ₹9795 की बचत हो सकती थी। अतः परिवहन निगम रियायती वाउचर न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	**वा0सं0 / दि0**	**इन्टर कालेज प्रतियोगिता का स्थान**	**प्रतिभागी छात्रों की सं0**	**बस किराया**
1	शून्य / 29.10.15	राजकीय महाविद्यालय नेरवा दिनांक 23.9.15 से 25.9.15 कबडी प्रतियोगिता	12	14280
2	शून्य / 12.9.16	राजकीय महाविद्यालय मण्डी में दिनांक 14.9.16 से 17.9.16 तक बैडमिन्टन	9	5310
			कुल	**19590**

14 अभिलेख का अंकेक्षण में न प्रस्तुत किया जानाः–

मिश्रित निधि से संस्थान द्वारा वाउचर संख्या 196 दिनांक 14.10.16 के अन्तर्गत वार्षिक पारितोषिक समारोह में चाय पान पर ₹15250 का व्यय किया गया जिसके सम्बन्धित बिल कोटेशन व रसीद इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वाँछित अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ₹1.73 लाख का क्रय सामग्री का भण्डार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न प्रकरणों में क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डा रजिस्टरों में नहीं किया गया था जिससे के अभाव में खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः खरीद किए सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वाँछित कार्यवाही उपरान्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रमांक	**वा0सं0 / दिनांक**	**निधि**	**विवरण**	**राशि**
1	शून्य / 26.11.14	परीक्षा	मैसर्ज महालक्ष्मी आफसैट प्रिटिंग प्रैस नूरपुर से बिल संख्या 936 दिनांक 20.10.14 के अन्तर्गत क्रय 10500x3 उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय (12 Pages)	31500
2	शून्य / 18.12.15	परीक्षा	मै0 नाईस आफसैट प्रिटिंग प्रैस नुरपुर से बिल संख्या 256 दिनांक 28.11.15 के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय	70800
3	196 / 14.10.16	मिश्रित	मै0 अनिल हैण्डलूम से बिल संख्या 2297 दिनांक 5.10.16 में वर्णित मैट 775x91	70525
			जोड	**172825**

16 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.89 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹389377 का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार की क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निधि	विवरण	राशि
1	2/20.8.15	फर्नीचर रिपलेसमेन्ट	मैसर्ज शिवा इन्डस्ट्रीज जसूर से बिल संख्या 10 दिनांक 28.6.15 द्वारा फर्नीचर क्रय	160125
2	शून्य/20.10.14	पुस्तकालय प्रतिभूति	मै0 ज्योति इन्टरप्राईजिज से खरीद गई किताबें	229252
				389377

17 पुस्तक प्रतिभूति निधि से ₹185 के अधिक भुगतान बारेः–

पुस्तक प्रतिभूति निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 30 दिनांक सितम्बर 2016 द्वारा मैसर्ज सुभाष बुक डिपो एवं जनरल आर्डर सप्लायरज को किताबों की सप्लाई हेतु ₹43921 का भुगतान किया गया। निविदाओं में सुभाष बुक डिपो द्वारा किताबों पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान की थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	बिल सं0/दिनांक	कुल राशि	डिस्काउंट	शेष राशि
1	8431/31.3.16	14960	2240	12716
2	8432/31.3.16	1845	92	1753
3	1833 & 1834/31.3.16	20230	3034	17196
4	8435/31.3.16	3510	526	2984
5	8629	10908	1636	9272
			जोड़	**43921**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि क्रमांक 2 पर बिल संख्या 8432 दिनांक 31.3.2016 ₹1845 पर 15% की दर से छूट की ₹277 बनती है जबकि फर्म द्वारा डिस्काऊंट ₹92 दिया गया निविदाओं अनुसार फर्म को ₹185 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी

वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि को सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 मांग व प्राप्ति रजिस्टरों के रख रखाव न करने बारेः—

अंकेक्षण जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में मांग व प्राप्ति रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि पूरें वर्ष के दौरान प्रति विद्यार्थी से कुल कितनी राशि प्राप्ति योग्य थी व कितनी राशि एकत्र की गई तथा कितनी शुल्क/निधि बकाया थी। अतः महाविद्यालय प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमित आधार पर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त प्राप्तियों की जाँच सम्बन्धित अभिलेख से उचित प्रकार से की जा सके।

19 लघु आपत्ति विवरएणीः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्षः— लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)सी(15)(11)(2)483/2009—खण्ड—2—1425—1427 दिनाँक23.02.2018
शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 संयुक्त सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला—171002
2 निदेशक (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला—171001
पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881